दिनांक 26–27 अक्टूबर, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

1. उपस्थितिः–संलग्न।

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्यस्तरीय बैठक में भाग लेने साथ ही अनुपस्थिति के स्थिति की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, किशनगंज एवं सीतामढ़ी को दिनांक 26.10.2018 के आहूत राज्यस्तरीय बैठक में अनुपस्थित रहने से संबंधित स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही अगली बैठक से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों का संबंधित तिथि का वेतन अवरूद्व करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां० पदा०/स्थापना

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही का अनुपालन एवं सांख्यिकी से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
3. प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को सांख्यिकी से संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां० पदा०

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को जिला स्तरीय सभी प्रकार के बैठकों में भाग लेने एवं सांख्यिकी कार्यो से संबंधित समीक्षा करने का निदेश दिया गया, ताकि लंबित प्रतिवेदनों को अद्यतन किया जा सके।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

5. सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को सेवान्त लाभ ससमय देने तथा आगामी छः माह में सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों का विस्तृत विवरण निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

6. **बजट** :–

(i) **(क)** वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह–सितम्बर 2018 की व्यय विवरणी सभी जिलों से प्राप्त है इसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समीक्षा में कुछेक जिलों से प्राप्त मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण निदेश दिया गया कि मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(ख) निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के वेतन आदि का भुगतान माह के अंतिम तिथि तक नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(ग) गत बैठकों में दिये गये निदेश के बावजूद अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति कुछेक प्रमंडल/जिला द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी को निदेश दिया गया कि उक्त प्रतिवेदन के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय सहित अपने लेखा एवं रोकड़ की जाँच (Reconciliation) प्रतिवेदन भी प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय के लेखा शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास के रोकड़पंजी में बैंक खाता से 30,00,000 (तीस लाख) रू० ज्यादा रहने एवं रोकड़पंजी 2018 तक ही अद्यतन रहने के कारण स्पष्टीकरण मांगने का निदेश दिया गया।

संकलन

निदेशालय स्तर से भ्रमण में जाने वाले सभी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भ्रमण के दौरान निश्चित रूप से कार्यालय रोकड़पंजी की जाँच/अवलोकन करें एवं यदि किसी कार्यालय की रोकड़पंजी अद्यतन संधारित नहीं है तो तुरंत वहाँ के रोकड़पाल तथा आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा करें।

अनुपालन–निदेशालय स्तर के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक(सां०)/ सभी जिला सां०पदा०/लेखा शाखा

(घ) वित्त विभाग के द्वारा सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में बैंक विवरणी की छायाप्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक(सां०)/ सभी जिला सां०पदा०

(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा के क्रम में सभी लंबित जिलों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC-42A प्रपत्र में दिनांक 06.11.2018 तक लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ निदेशालय(लेखा शाखा)

(iii) लंबित AC/DC विपत्र की समीक्षा में पाया गया कि सिर्फ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना के यहाँ AC विपत्रों के विरूद्ध समर्पित DC विपत्र असमायोजित है, जिसका समायोजन यथाशीघ्र करवाने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना

(iv) विगत वर्षो में समर्पित DC विपत्रों की लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन जिला सांख्यिकी कार्यालय, **बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर** का लंबित रहने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को AC विपत्रों का समायोजन कराने का निदेश दिया गया। अगर कोई लंबित/असमायोजित DC विपत्र उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित नहीं है तो इसका सत्यापन कोषागार से करवा कर तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करावें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जि०सां०पदा०/बजट शाखा

(v) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं गया के यहाँ काफी समय से अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन लंबित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित अंकेक्षण आपत्ति के जिन कंडिकाओं का अनुपालन तुरंत किया जा सकता है, उसका अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें, साथ ही जिला के प्रखडों/अंचलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर ततसंबंधी अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करते हुए शेष राशि का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करें।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा

7. कृषिः–

(i) भदई द्रुत जिंसवारः– कृषि वर्ष 2018–19 का भदई द्रुत जिंसवार प्रतिवेदन भालगपुर, नालंदा, पूर्वी चम्पारण एवं बांका का अप्राप्त पाया गया, जबकि सारण जिला का आंशिक तथा पूर्णियाँ जिला का त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन पाया गया जिसे इन दोनों जिलों से शुद्ध–शुद्ध एवं पूर्ण प्रतिवेदन तथा उपर वर्णित चारों जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) अगहनी द्रुत जिंसवारः– अगहनी द्रुत जिंसवार कृषि वर्ष 2018–19 औरंगाबाद, शिवहर, कैमूर, किशनगंज एवं गया जिलें से प्राप्त हुआ है। शेष जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रतिवेदन शीघ्र भेजने हेतु निदेश दिया गया है।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) समान्य जिंसवारः– रब्बी एवं गरमा मौसम 2017–18 का समान्य जिंसवार सभी जिलों से प्राप्त हो चुका है।

(iv) भूमि उपयोग विवरणीः– कृषि वर्ष 2017–18 के भूमि उपयोग विवरणी के समीक्षा में निम्न जिला यथा, पटना, नालंदा, बक्सर, पूर्वी चम्पारण एवं बांका से अप्राप्त पाया गया। कृषि प्रशाखा को इन जिलों से समन्वय स्थापित कर लंबित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/कृषि प्रशाखा

(v) फसल सांख्यिकी सुधार योजनाः– कृषि वर्ष 2017–18 के गरमा धान 2.0 प्रतिवेदन सुपौल, पूर्णियॉ, अररिया, किशनगंज एवं दरभंगा जिलें का लंबित पाया गया जबकि कटिहार जिलें से दो प्रयोग की अनुसूचियॉ लंबित है। इसी प्रकार कृषि वर्ष 2018–19 के भदई मौसम का 1.0 एवं 1.1 नालंदा, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, मधेपुरा, पूर्णियॉ, अररिया, कटिहार, जमुई, खगड़ियॉ, भागलपुर, बांका एवं दरभंगा जिलें का लंबित पाया गया। जिसे एक सप्ताह के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vi) राज्य में कृषि वर्ष 2018–19 से "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" लागू है। खरीफ 2018–19 के लिए अगहनी धान एवं भदई मकई को इस योजना के तहत् अधिसूचित किया गया है। फसल कटनी प्रयोग के आंकड़े को CCE Agri-App के माध्यम से Upload किया जाना है। निदेश है कि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपने–अपने जिलें का फसल कटनी प्रयोग के आंकड़ों को CCE Agri-App पर Upload करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vii) **फल सब्जीः–** फल–सब्जी कटनी प्रयोग के सभी लंबित प्रतिवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(viii) कृषि प्रशाखा से संबंधित सभी प्रतिवेदनों को desagri0@gmail पर भी भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

8. वर्षापातः–

(i) वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वा0 तक लोड करने एवं प्रत्येक दिन के वर्षापात के आंकड़ों से निदेशक महोदय को अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

(ii) जिलों में अधिष्ठापित AWS का मासिक स्थलीय भौतिक जॉच प्रतिवेदन प्रत्येक अनुवर्ती माह के 8वीं तारिख तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय

(iii) वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन एवं रख–रखाव तथा मानवबल हेतु आवंटित किये गये राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को लभ्य कराने साथ ही अव्यवहृत राशि को शीघ्रताशीघ्र प्रत्यार्पित करने का भी निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

9. रान्यासः–

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 76वें सत्र के प्रथम उपसत्र में माह– सितम्बर 2018 तक के कार्यो की समीक्षा की गयी। प्रत्येक माह के सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियॉ निदेशालय को

अनुवर्ती माह के 7वीं तारीख तक लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः– रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा यह निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में निदेशालय को अचूक रूप से लभ्य कराया जाय।

अनुपालनः— रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) प्रत्येक पदाधिकारी को निर्धारित संख्या में निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जि०सां०पदा०/निदेशालय

10. लघु सिंचाई गणनाः—

(i) निदेशालय द्वारा भेजी गयी छठी लघु सिंचाई गणना के मास्टर डाटा की जॉच कर इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजेगें कि एक भी ग्राम एवं वार्ड का नाम नही छुटा है। यदि त्रुटि पायी गयी हो तो संशोधित मास्टर डाटा पुनः प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 05.11.18 तक अचूक रूप से भेजने का निदेश दिया गया।

(ii) ग्राम निदेशिका (चार्ज रजिस्टर) 31.08.2018 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया था। परंतु अभी भी अधिकतर जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। अप्राप्त जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दिनांक 05.11.2018 तक ग्राम निर्देशिका (चार्ज रजिस्टर) अचुक रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iii) पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013–14 के मानदेय मद में बकायें राशि का आवंटन कर दिया गया है। सभी संबंधित को नियमानुकूल भुगतान करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) पंचम लघु सिंचाई गणना में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध मदवार निकासी की गयी राशि एवं योजनाओं की ब्योरा सहित लंबित भुगतान हेतु राशि की मांग (अधियाचना) दिनांक 05.11.2018 तक निदेशालय में भेजने का निदेश दिया गया।

(v) छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 और जल निकाय गणना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित कर इसकी सूचना दिनांक 05.11.2018 तक निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(vi) छठी लघु सिंचाई गणना के जिला एवं अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण को दिनांक 10.11.2018 तक सम्पन्न कराते हुए दिनांक 15.11.2018 से अचूक रूप से गणना कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

11. जीवनांकः—

(i) **जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदनः—** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करे।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) **प्रतिवेदन प्रेषण का स्तरः—** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) **जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धिः—** जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया। माह–सितम्बर 2018 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 75% उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। शेखपुरा, किशनगंज, भागलपुर एवं पूर्णियॉ जिलों सहित कुल 11 जिलों के द्वारा माह–सितम्बर 2018 तक 75% के नजदीक तक का लक्ष्य प्राप्त किया गया इसके लिए उन जिलों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अक्टूबर माह तक 83% की उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है परंतु समीक्षा के क्रम में वैसे जिलें जिनका प्रतिशत उपलब्धि 50–60% के बीच

में है उन्हें अगलें माह तक 75% की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया। जिनका प्रतिशत उपलब्धि 50% या उससे कम है उनके लिए विशेष अभियान चलाकर अगलें माह तक 75% निश्चित रूप से प्राप्त करने का निदेश दिया गया। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपने जिलों के जिला पदाधिकारी से समन्यवय स्थापित कर सभी अपेक्षित कारगर कदम उठाने का निदेश दिया गया। जीवनांक प्रशाखा द्वारा जिलों के रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि का साप्ताहिक समीक्षा करने एवं निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने वाले जिलों से समन्वय स्थापित कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने एवं जिला पदाधिकारी को भी अवगत कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) स्वास्थ्य संस्थानों में घटित जन्म—मृत्यु के घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में पाये जा रहे अंतर से जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया तथा अंतर को शीघ्र समाप्त करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(v)जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाईयों का निर्धारित निरीक्षण प्रतिवेदन के विरूद्व प्राप्ति की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। प्रत्येक माह में निर्धारित संख्या के अनुरूप निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः—सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vi) **<u>नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्सः—</u>** नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स असम से प्राप्त जीवनांक अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन अभी भी विभिन्न जिलों में लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को NRC से संबंधित जीवनांक अभिलेखों को सत्यापित कर प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर एवं पटना को इस कार्य के लिए प्रशंसा—पत्र दिया गया।

जिला का नाम	लंबित प्रतिवेदनों की सं०	सभी लंबित प्रतिवेदन निष्पादित किये जाने की समयावधि।
नालंदा	01	31 अक्टूबर 2018 तक
कटिहार	11	31 अक्टूबर 2018 तक
सुपौल	01	31 अक्टूबर 2018 तक
मुजफ्फरपुर	73	31 अक्टूबर 2018 तक
पूर्वी चम्पारण	30	31 अक्टूबर 2018 तक
प0 चम्पारण	08	31 अक्टूबर 2018 तक
सीतामढ़ी	12	31 अक्टूबर 2018 तक
वैशाली	51	31 अक्टूबर 2018 तक
सारण	127	31 अक्टूबर 2018 तक
मधुबनी	08	31 अक्टूबर 2018 तक
समस्तीपुर	11	31 अक्टूबर 2018 तक
बेगुसराय	25	31 अक्टूबर 2018 तक

अनुपालनः—संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vii)बैठक में सारण जिला में NRC की लंबित मामलों की जॉच वरीय संयुक्त निदेशक को करने एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण का Performance report भी समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः—संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/वरीय संयुक्त निदेशक

(viii)<u>MCCD **त्रैमासिक प्रतिवेदनः**–</u> वर्ष 2018 से यह प्रतिवेदन 5 जिलों के छः मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल के साथ–साथ सभी जिलों के सदर अस्पताल से प्राप्त किया जाना है। तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन सात जिला यथा नालंदा, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, मधुबनी, भागलपुर एवं सुपौल जिला से प्राप्त है। शेष जिलों को एक सप्ताह के अन्दर तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया। अभी भी कुछ जिलों से प्रथम एवं द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन अप्राप्त है। इन जिलों को शीघ्रताशीघ्र लंबित प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया। इसके लिए निदेशालय स्तर से सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/जीवनांक प्रशाखा

(ix)<u>MCCD **प्रशिक्षण उपयोगिता प्रमाण–पत्रः**–</u> MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 का मुंगेर, तथा वर्ष 2014–15 का मुंगेर एवं सहरसा से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(x)<u>**मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम**</u> :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

12. <u>साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी</u> :–

(i) साधन सांख्यिकी का प्रतिवेदन सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का **लेखा विवरणी (आय एवं व्यय)** विहित प्रपत्र में सभी जिलों से अप्राप्त है। सभी जिलों को लंबित प्रतिवेदन लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) साधन सांख्यिकी अन्तर्गत सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) की अद्यतन सूची आधार वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षण हेतु विहित प्रपत्र में गया, खगड़िया, सारण, वैशाली, भागलपुर, सहरसा, अरवल, सीवान, औरंगाबाद, जमुई, गोपालगंज, कैमूर, शिवहर एवं मधुबनी से प्राप्त है। शेष जिलों से प्रतिवेदन लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना एवं कटिहार को आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित ऑन–लाईन अद्यतन प्रतिवेदन भारत सरकार को लभ्य कराने एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध करायी गई राशि का अभिश्रव सहित उपयोगिता प्रमाण लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

13. <u>औद्यौगिक उत्पादन सूचकांक एवं कृषि पदार्थो का थोक मूल्य</u> :–

(i) औद्यौगिक उत्पादन सूचकांक से संबंधित लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को शीघ्रताशीघ्र लभ्य कराने हेतु सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) कृषि पदार्थो का थोक मूल्य प्रत्येक सप्ताह में निश्चित रूपेण निदेशालय में लभ्य कराने हेतु सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 06/2017 /2279/पटना, दिनांकः–20-11-18

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

19/11

निदेशक

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 06/2017 2279/पटना, दिनांकः–20-11-18

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/11

निदेशक

दिनांक 26.10.2018 (शुक्रवार) को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक मासिक बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों की उपस्थिति :–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल सं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	श्री धीरेन्द्र नारायण मिश्रा	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पटना	9431808832	26/10/18
2	श्री संजय कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पूर्णियॉ	9334322062	
3	डॉ सत्य प्रकाश पासवान	प्रमण्डलीय उप निदेशक, कोशी	9955238574	26/10/18
4	श्री श्याम किशोर	प्र० प्रमण्डलीय उप निदेशक, तिरहुत	9431637610	for 26.10.18
5	श्री अजय कुमार चौधरी	जि० सां० पदाधिकारी, पटना	8002602191	26/X/18
6	श्रीमती रश्मि रमेश कुमार सिंह	जि० सां० पदाधिकारी, नालन्दा सा० सां० पदा०	9693445388 9162535254	26.X.18 26/10
7	श्री गणेश राम	जि० सां० पदाधिकारी, रोहतास	9430532014	26/10/18
8	श्री विनोद आनन्द सुनील कु० सिंह	प्र०जि० सां० पदाधिकारी, कैमूर A-S-O	8789063818 8340273423	26.10.18
9	श्रीमती शशि प्रभा	जि० सां० पदाधिकारी, भोजपुर	9471072695	26.10.18
10	सुश्री सरिता कुमारी	जि० सां० पदाधिकारी, बक्सर	7677051461	26/10/18
11	श्री शशि भूषण	जि० सां० पदाधिकारी, पूर्णियॉ	9470416672	26/10/18
12	श्री किशोर कृष्ण	प्र० जि० सां० पदाधिकारी, अररिया	8298771525	26/10/18
13	श्री सुरेन्द्र मोची श्री मृणाल सेन	प्र० जि० सां० पदाधिकारी, किशनगंज J.S.A	8292621968 7561936733	26/10/18
14	श्री पारस नाथ चौधरी	जि० सां० पदाधिकारी, कटिहार	9334065754	26/10/18
15	श्री भुवनेश्वर प्रसाद	प्र० जि० सां० पदाधिकारी, सहरसा	9931414191	26.10.18
16	श्री मोती कुमार दिनकर	प्र० जि० सां० पदाधिकारी, सुपौल	9431069466	26.10.18

17	श्री उपेन्द्र कुमार	जि० सां० पदाधिकारी, मधेपुरा	9934363940	26/10/18
18	श्री अरविन्द कुमार सिंह	जि० सां० पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	9470033534	26.10.18
19	श्री शशिकान्त प्रकाश नवल किशोर राय	प्र० जि० सां० पदाधिकारी, सीतामढ़ी स० सां० पदा० "	9431696962 7631605736	26/10/2018
20	श्री सुभाष राम	प्र० जि० सां० पदाधिकारी, शिवहर	9262700383	26/10/2018
21	श्री मिथिलेश कुमार	जि० सां० पदाधिकारी, प०चम्पारण	8002841265	26.10.18
22	श्री शंभू प्रसाद यादव	जि० सां० पदाधिकारी, पू०चम्पारण	9771347688	26/10/18
23	श्री संजय कुमार सिंह	जि० सां० पदाधिकारी, वैशाली	6204711299	26.10.18

दिनांक 27.10.2018 (शनिवार) को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक मासिक बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों की उपस्थिति :—

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल सं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	मो० सलीम अंसारी	प्र० प्रमण्डलीय उप निदेशक, गया	7903586833	
2	श्री विनय कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, मुंगेर	9430061941	
3	श्री विनय कुमार सुशील कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, भागलपुर ASO	9430061941 9835795782	27.10.18
4	श्री मनोज कुमार झा (RPO) हृदय नारायण झा	प्रमण्डलीय उप निदेशक, दरभंगा स० सां० पदा०	9470489766 9430328583	27/10/18
5		प्रमण्डलीय उप निदेशक, सारण		
6	मो० सलीम अंसारी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया	7903586833	27/x/18
7	श्री प्रियदर्शी अमरेश	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद	9430936691	27/10/2018
8	श्री अशोक कुमार चौधरी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा	9430557796	27/x/2018
9	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल	8002860870	27/10/2018
10	श्री अजीत कुमार श्री चन्द्र सिंह	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद स० सां० पदा० औरंगाबाद	9472455675 99312884[illegible]	
11	श्री प्रेम कुमार	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर	7563018613	27/10/18
12	श्री अजय कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, लखीसराय	9431451783	27.10.18
13	श्री राकेश कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शेखपुरा	7992425869	27/x/18
14	श्री भीम शर्मा	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,जमुई	7979894934	27/10/18
15	श्री विरेन्द्र कुमार राहुल रंजन [illegible]	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया	7488142882	27.10.18

16	मो० नौशाद खॉ	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय	8084067266	27/10/18
17	श्री शम्भू राय	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर	8507689546 7985253955	27/x
18	श्री चन्द्रदेव महतो	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बांका	8987195775	27/10/2018
19	श्रीमती संध्या सुरभि	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा	7277322478	27.10.18
20	श्री सोमेश्वर प्रसाद	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधुबनी	9771773701	27.10.18
21	श्री सुनील कुमार सिन्हा	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर	6201831288	27/10/18
22	श्री आनन्द प्रकाश	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण(छपरा)	9709323400	
23	श्री रवि रंजन राकेश	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीवान	7209035089	27.10.18
24	श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज	9955649719	27/10/2018